मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-08.10.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग में अवमाननावाद के 57 मामले एवं CWJC के 536 मामले लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा लंबित मामलों में शीघ्र कारवाई करने का निदेश दिया गया।

3. ऊर्जा विभाग में अवमाननावाद के 17 एवं CWJC के 323 मामले लंबित है। विभाग के प्रधान सचिव द्वारा यह सूचना दी गई कि अधिकांश मामले भवन निर्माण विभाग से संबंधित हैं।

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अवमाननावाद के 39 एवं CWJC के 560 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा शीघ्र समीक्षा कर लंबित मामलों में कारणपृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सके।

5. शिक्षा विभाग में अवमाननावाद के 185 एवं CWJC के 1630 मामले लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय स्तर पर समीक्षा कर लंबित मामलों में शीघ्र कारवाई करने का निदेश दिया गया। विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिसम्बर तक CWJC के लंबित मामलों की संख्या 600 तक कम कर देने का आश्वासन दिया गया।

6. स्वास्थ्य विभाग में अवमाननावाद के 134 एवं CWJC के 1513 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा शीघ्र कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दायर कर लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने का निदेश दिया गया।

7. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह निदेश दिया गया कि जिन विभागों में MJC एवं CWJC के 10 से कम मामले लंबित हैं। उन्हें बैठक में बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

8. बैठक में अधिकांश विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा मुख्य सचिव को बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर प्रवेश के लिए प्रवेश-पत्र बनाने में अनावश्यक विलम्ब व असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा विधि सचिव को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना से विचार-विमर्श कर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के संबंध में प्रवेश-पत्र एक वर्ष या निश्चित अवधि के लिए निर्गत कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया गया।

कृ0पृ0उ0

9. पिछले महीने में कौन-से विभाग द्वारा अच्छा और कौन-से विभाग द्वारा खराब प्रदर्शन किया गया है। इसके संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 (पाँच) एवं खराब प्रदर्शन करने वाले 5 (पाँच) विभागों की सूची अलग से बनाने का निदेश दिया गया है।

10. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

17/10/14

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7271**जे0 पटना, दिनांक-**20-10-14

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7271**जे0 पटना, दिनांक-**20-10-14

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/X

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।